



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235433
CG-DL-E-29042022-235433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1885]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944

No. 1885]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2022

का.आ. 1985(अ).—केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1391(अ) तारीख 26 मार्च, 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 26 मार्च, 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में पारादीप (ओडिशा) से नुमालीगढ़ (असम) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 23 दिसम्बर 2021, तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1)के अधीन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब,केन्द्र सरकार,उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार या कारपोरेशन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला :- बीरभूम					राज्य :- पश्चिम बंगाल			
क्रम संख्या	पोलिस स्टेशन	ब्लक	मौजा का नाम एवं जे.एल नंबर	नक्सा प्रकाशन प्रकार	दाग नंबर	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बोलपुर	बोलपुर	सातुरिया-41	L.R	5332	00	18	30
					5331	00	01	40
					5334	00	07	90
					5333	00	11	90
					5337	00	00	20
					5338	00	13	30
					5339	00	12	90
					5228	00	00	20
					5227	00	14	70
					5224	00	02	20
					5213	00	03	10
					5212	00	08	60
					5211	00	13	30
					5210	00	02	60
					5195	00	00	70
					5198	00	03	70
					5209	00	06	00
					5199	00	06	60
					5200	00	06	90
					5143	00	00	80
					5141	00	00	90
					5142	00	08	20
					5146	00	01	00

5148	00	03	90
5149	00	04	00
5152	00	05	10
5151	00	00	80
5153	00	07	10
5120	00	01	70
5111	00	00	20
5110	00	08	10
5108	00	00	20
5107	00	01	20
2664	00	00	20
2663	00	05	50
2662	00	06	20
2660	00	02	00
2658	00	02	80
2655	00	02	10
2657	00	00	30
2651	00	01	20
2650	00	06	20
2649	00	00	60
1679/5916	00	03	00
1679/5915	00	02	00
1679/5914	00	02	50
2560/5911	00	00	20
2648	00	01	10
2622	00	03	10
2561	00	10	30
2552	00	00	20
2551	00	01	40
2550	00	01	80
2565	00	01	20
2549	00	02	83
2548	00	01	40
2566	00	04	90
2568	00	00	20

2567	00	07	70
2496	00	00	20
2499	00	04	00
2498	00	07	90
2484	00	04	00
2489	00	00	40
2485	00	05	20
2486	00	04	70
2482	00	00	40
2487	00	04	50
2478	00	03	30
2476	00	00	30
2477	00	04	40
2432	00	00	20
2472	00	08	10
2473	00	00	40
2470	00	04	00
2471	00	05	50
2465	00	08	20
2464	00	04	70
2463	00	00	20
51	00	04	40
38	00	07	00
50	00	00	20
39	00	14	10
40	00	04	20
46	00	03	90
22	00	01	30
19	00	15	10
20	00	09	30
14	00	08	20
15	00	04	80
2	00	06	90
1	00	10	50

[फा. सं. R-11025(14)/2/2019-OR-I /E-37221]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th April, 2022

S.O. 1985(E).—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1391(E) dated the 26th March, 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 26th March 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Odisha for the transportation of Crude Oil from Paradip in Odisha to Numaligarh in Assam by Numaligarh Refinery Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 23.12.2021;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Numaligarh Refinery Limited, free from all encumbrances.

Numaligarh Refinery Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit or legal proceeding shall lie against the Central Government, the competent authority or State Government or Corporation on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Birbhum						State : West Bengal		
Sl. No.	Police Station	Block	Mouza & J.L No.	Map Publication Type	Plot No	Area		
						Hec	Are	Sq. Mtr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bolpur	Bolpur	Saturiya-41	L.R	5332	00	18	30
					5331	00	01	40
					5334	00	07	90
					5333	00	11	90
					5337	00	00	20
					5338	00	13	30
					5339	00	12	90
					5228	00	00	20
					5227	00	14	70
					5224	00	02	20
					5213	00	03	10
					5212	00	08	60
					5211	00	13	30
					5210	00	02	60

5195	00	00	70
5198	00	03	70
5209	00	06	00
5199	00	06	60
5200	00	06	90
5143	00	00	80
5141	00	00	90
5142	00	08	20
5146	00	01	00
5148	00	03	90
5149	00	04	00
5152	00	05	10
5151	00	00	80
5153	00	07	10
5120	00	01	70
5111	00	00	20
5110	00	08	10
5108	00	00	20
5107	00	01	20
2664	00	00	20
2663	00	05	50
2662	00	06	20
2660	00	02	00
2658	00	02	80
2655	00	02	10
2657	00	00	30
2651	00	01	20
2650	00	06	20
2649	00	00	60
1679/5916	00	03	00
1679/5915	00	02	00
1679/5914	00	02	50
2560/5911	00	00	20
2648	00	01	10
2622	00	03	10
2561	00	10	30
2552	00	00	20
2551	00	01	40
2550	00	01	80
2565	00	01	20
2549	00	02	83
2548	00	01	40
2566	00	04	90
2568	00	00	20
2567	00	07	70
2496	00	00	20

2499	00	04	00
2498	00	07	90
2484	00	04	00
2489	00	00	40
2485	00	05	20
2486	00	04	70
2482	00	00	40
2487	00	04	50
2478	00	03	30
2476	00	00	30
2477	00	04	40
2432	00	00	20
2472	00	08	10
2473	00	00	40
2470	00	04	00
2471	00	05	50
2465	00	08	20
2464	00	04	70
2463	00	00	20
51	00	04	40
38	00	07	00
50	00	00	20
39	00	14	10
40	00	04	20
46	00	03	90
22	00	01	30
19	00	15	10
20	00	09	30
14	00	08	20
15	00	04	80
2	00	06	90
1	00	10	50

[F. No. R-11025(14)/2/2019-OR-I /E-37221]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.